...लय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाड़ियां R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या 2022/56

प्रकरण संख्या 28/22

अनवान

1. श्री उदयलाल पुत्र श्री देवीलाल धाकड निवासी धाकडों का खेडा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।
2. श्री उदयलाल पुत्र श्री हीरालाल धाकड निवासी धाकडों का खेडा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।
3. भगवतीबाई पुत्री श्री हीरालाल धाकड निवासी धाकडों का खेडा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।
4. श्रीमती चॅदाबाई पत्नी शांतिलाल धाकड निवासी धाकडों का खेडा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।
5. पुरण पुत्र श्री शांतिलाल धाकड निवासी धाकडों का खेडा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।
6. अंगुरबाला पुत्री श्री शांतिलाल धाकड निवासी धाकडों का खेडा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।

..................प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती काली पत्नी श्री भोलीराम गाडरी निवासी शवपुरा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।
2. श्री चम्पालाल पुत्र श्री भोलीराम गाडरी निवासी शवपुरा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।
3. श्री भगवानलाल पुत्र श्री देवा गाडरी निवासी शवपुरा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।
4. श्रीमती कंकूबाई पत्नी श्री भेरूलाल गाडरी निवासी शवपुरा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।
5. श्री मोहनलाल पुत्र श्री भेरूलाल गाडरी निवासी शवपुरा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।
6. श्री उदयलाल पुत्र श्री भेरूलाल गाडरी निवासी शवपुरा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।
7. श्रीमती सीताबाई पत्नी श्री भंवर[illegible] [illegible] का खेडा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।
8. श्री प्रभुलाल पिता श्री नारायण धाकड निवासी धाकडों [illegible] खेडा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।
9. श्री राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार जी [illegible]नोड तहसील कानोड जिला उदयपुरा राज0।

................विपक्षीगण

उपस्थित :– मुकेश कुमार डांगी, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.11.02 13:38:53 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner

GCMS संख्या 2022/56
प्रकरण संख्या 28/22
उदयलाल बनाम राज्य सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम 1956

—: : निर्णय : :—

दिनांक :—30.09.2022

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा शवपुरा पटवार हल्का लुणदा तहसील कानोड जिला उदयपुर के आराजी नम्बर 137/1 क्षेत्रफल 11 बीघा 18 बिस्वा भूमि में प्रार्थी संख्या 1 के नाम 1/4 हिस्सा प्रार्थी संख्या 2 के नाम 3/8, प्रार्थी संख्या 2 व 3 की माता जगनाथी के नाम 1/8 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 4 से 6 के पिता/पति शांतिलाल के नाम 1/4 हिस्सा था जो नवीन बंदोबस्त के बाद आराजी नम्बर 244, 245, 246, किता 3 रकबा 2.5700 हैक्टेयर बना। इसी प्रकार आराजी नम्बर 137/2 क्षेत्रफल 10 बीघा 18 बिस्वा भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम 1/6, विपक्षी संख्या 2 के नाम 1/6 हिस्सा, विपक्षी संख्या 3 के नाम 34/327 हिस्सा, विपक्षी संख्या 4 से 6 पिता/पति भेरूलाल के नाम 1/3 हिस्सा, विपक्षी संख्या 7 के नाम 25/109 हिस्सा, विपक्षी संख्या 4 से 6 पिता/पति भेरूलाल द्वारा उसके 1/3 हिस्से में से 3 बीघा भूमि प्रार्थी संख्या 2 उदयलाल व विपक्षी संख्या 8 प्रभुलाल को विक्रय कर कब्जा दिया हुआ है जिसकें नामांतरण की कार्यवाही शेष है। यह कि आराजी नम्बर 137/2 के बंदोबस्त के बाद नवीन आराजी नम्बर 242, 243 किता 2 क्षेत्रफल 2.3600 हैक्टेयर बनें।

2. यह कि नवीन नक्शा ट्रेस में आराजी नम्बर 137/1 के नवीन आराजी नम्बर 244, 245, 246 को आराजी नम्बर 137/2 के नवीन आराजी नम्बर के स्थान पर गलत अंकन कर दिया है तथा आराजी नम्बर 137/2 के नवीन आराजी नम्बर 242, 243 के स्थान पर आराजी नम्बर 137/1 के नवीन आराजी नम्बर पर गलत अंकन कर दिया गया है। अतः आराजी नम्बर 137/1 के नवीन आरजी नम्बर 244, 245, 246 को आराजी नम्बर 137/2 के नवीन आराजी नम्बर 242, 243 को गत नक्शा ट्रेस के अनुसार नवीन नक्शा ट्रेस में वास्तविक स्थान पर अंकित कराया जाकर नवीन नक्शा ट्रेस को आराजी नम्बर 244, 245, 246 के क्षेत्रफल के अनुसार एवं आराजी नम्बर 242, 243 के क्षैत्रफल के अनुसार शुद्ध किये जाने का निवेदन किया।

3. पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर विपक्षीगण को जरिये [illegible] तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार कानोड द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई [illegible] तथ्य इस प्रकार है :—

I. यह है कि प्रार्थी की बंदोबस्त से पूर्व [illegible] रिकार्ड ग्राम शवपुरा पटवार मण्डल लूणदा की जमाबंदी संवत् 2051—54 में खाता संख्या 21 खसरा नम्बर 137/1, कुल रकबा 11—18 बीघा उदयलाल पुत्र देवीलाल 1/4 धाकड, उदयलाल पुत्र हीरालाल 3/8 धाकड, जगन्नाथी पत्नी हीरालाल 1/8 धाकंड सा. खातेदार दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.11.02 13:38:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, भींडर जिला उदयपुर (राज.)

CamScanner

II. नवीन सेटलमेंट जमाबंदी रिकार्ड संवत् 2078–81 में खाता संख्या 75 खसरा नम्बर 244, 245, 246 कुल रकबा क्रमश 0.7500, 0.8700, 0.9500 हैक्टेयर नवीन खाता में उदयलाल पुत्र देवीलाल 1/4 धाकड, उदयलाल पुत्र हीरालाल 7/16 धाकड, भगवतीबाई पुत्री हीरालाल 1/16 धाकड, पुरण पुत्र शांतिलाल 1/12 धाकड, अंगुरबाला पुत्री शांतिलाल 1/12 धाकड, चंदाबाई पत्नी शांतिलाल 1/12 धाकड सा. धाकडों का खेडा दर्ज है।

III. वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार खातेदार मौके पर काबिज है तथा काश्त कर रहा है।

IV. अतः राजस्व रिकार्ड एवं नामान्तकरण के अवलोकनके पश्चात आराजी नम्बर 242 रकबा 1.3500 हैक्टेयर व आ.न. 243 रकबा 1.0100 हैक्टेयर एवं 244/1 रकबा 0.2200 हैक्टेयर कुल किता 3 रकबा 2.5800 हैक्टेयर भूमि वादीयों के नाम आ.न. 244/2 रकबा 0.5300 हैक्टेयर, आ.न. 245 रकबा 0.8700 हैक्टेयर आ.न. 246 रकबा 0.9500 हैक्टेयर कुल किता 3 रकबा 2.35 हैक्टेयर के नाम शुद्धी की अनुशंषा की जाती है।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रकरण में प्रार्थी की बहस सुनी। बहस में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया व प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। हमने प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी के कथनानुसार ग्राम शवपुरा पटवार हल्का लुणदा तहसील कानोड की साबिक आराजी नम्बर 137/1 के नवीन सेटलमेंट के बाद नये आराजी नम्बर 244, 245, 246 किता 3 रकबा 2.5700 हैक्टेयर प्रार्थीगण के नाम दर्ज है जबकि प्रार्थीगण का कब्जा साबिक आराजी नम्बर 137/2 के नये नम्बर 242, 243 व 244 के आंशिक भाग पर है। नवीन सेटलमेंट के द्वारा की गई त्रुटि को दुरस्त किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार कानोड की रिपोर्ट के अध्ययन से यह पाया की साबिक आराजी नम्बर 137/1 के नये आराजी नम्बर 244, 245, 246 रकबा 2.5700 हैक्टेयर प्रार्थीगण के नाम दर्ज है तथा साबिक आराजी नम्बर 137/2 के नये आराजी नम्बर 242, 243 रकबा 2.3600 हैक्टेयर विपक्षीगण के नाम दर्ज है। प्रकरण में पटवारी हल्का की मौका पर्चा रिपोर्ट में प्रार्थीगण आराजी नम्बर 242 रकबा 1.3500 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 243 रकबा 1.0100 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 244 रकबा 0.7500 हैक्ट[illegible] रकबा 0.2200 हैक्टेयर पर काबिज होकर काश्त कर रहें है। विपक्षीगण आराजी नम्बर 245 रकबा 0.8700 हैक्टेयर, 246 रकबा 0.9500 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 244 रकबा 0.7500 हैक्टेयर में से 0.5300 हैक्टेयर पर काबिज होकर काश्त कर रहें है। चूंकि नवीन सेटलमेंट जमाबंदी सवत् 2078 के राजस्व रेकर्ड अनुसार प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण को परस्पर एक दुसरे की जमीन पर काबिज हुआ बताया गया है जो की मौके अनुसार सही नहीं है। मौके पर प्रार्थीगण आराजी नम्बर 242, 243 व 244 के आंशिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.11.02 13:38:53 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner

भाग व विपक्षीगण आराजी नम्बर 245, 246 व 244 के आंशिक भाग पर काबिज है। प्रकरण में तहसीलदार कानोड द्वारा आराजी नम्बर 242 रकबा 1.3500 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 243 रकबा 1.0100 हैक्टेयर, 244/1 रकबा 0.22 हैक्टेयर (आराजी नम्बर 244 का बंटवाडा होकर आराजी नम्बर 244/1 रकबा 0.22 हैक्टेयर) किता 3 रकबा 2.5800 हैक्टेयर प्रार्थीगण के नाम एवं आराजी नम्बर 245 रकबा 0.8700 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 246 रकबा 0.9500 हैक्टेयर, 244/2 रकबा 0.5300 हैक्टेयर (आराजी नम्बर 244 का बंटवाडा होकर आराजी नम्बर 244/2 रकबा 0.5300 हैक्टेयर) किता 3 रकबा 2.35 हैक्टेयर विपक्षीगण के नाम दर्ज किया जाना प्रस्तावित किया।

5. अतः उपरोक्त विवेचन, तहसीलदार कानोड की रिपोर्ट व अनुशंषा के आधार पर यह स्पष्ट है कि नवीन सेटलमेंट के बाद प्रार्थी की साबिक आराजी 137/1 व विपक्षी की साबिक आराजी नम्बर 137/2 परस्पर अदल–बदल होकर अशुद्ध क्षेत्रफल दर्ज हो गया जिसे न्यायहित में सुधारा जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा शवपुरा पटवार हल्का लुणदा तहसील कानोड जिला उदयपुर की जमाबंदी संवत् 2078–81 में खाता संख्या 75 व 79 की आराजी नम्बर 242 रकबा 1.3500 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 243 रकबा 1.0100 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 244/1 रकबा 0.22 हैक्टेयर किता 3 रकबा 2.5800 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम व आराजी नम्बर 245 रकबा 0.8700 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 246 रकबा 0.9500 हैक्टेयर, 244/2 रकबा 0.5300 हैक्टेयर किता 3 रकबा 2.35 हैक्टेयर भूमि विपक्षीगण के नाम दर्ज कर नामे व उसी अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। पालना हेतु तहसीलदार कानोड को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले ईजलास आज दिनांक 30.09.2022 को सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.11.02 13:38:53 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner